मेसर्स प्रिया ब्लू इंडस्ट्रीज लिमिटेड

बनाम

सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त

17 सितंबर 2004

[न्यायाधिपति एस. एन. वरियावा और न्यायाधिपति एच. के. सेमा]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962-धारा 27-शुल्क-वापसी के लिए दावा-मूल्यांकन आदेश को चुनौती दिए बिना-दावे की रखरखाव-आयोजित: जब तक मूल्यांकन आदेश की समीक्षा नहीं की जाती या अपील में संशोधित नहीं किया जाता, तब तक इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता - रिफंड दावे पर विचार करने वाला अधिकारी मूल्यांकन आदेश की समीक्षा नहीं कर सकता।

अपीलकर्ता-कंपनी ने विरोध के तहत आयातित जहाज पर शुल्क का भुगतान किया था। शुल्क वापसी के उसके दावे को खारिज कर दिया गया था। रिफंड की अस्वीकृति के खिलाफ इसकी अपील भी खारिज कर दी गई। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सोना (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईजीएटी) ने यह कहते हुए अपील खारिज कर दी कि रिफंड का दावा कायम करने योग्य नहीं है क्योंकि मूल्यांकन आदेश के खिलाफ कोई

अपील दायर नहीं की गई थी। इस न्यायालय के समक्ष अपील भी खारिज कर दी गई। इसलिए वर्तमान समीक्षा याचिका।

अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि मूल्यांकन को चुनौती न दिए जाने पर भी धन वापसी का दावा कायम रखा जा सकता है, क्योंकि धन वापसी के दावे पर विचार करते समय मूल्यांकन की शुद्धता की जांच की जा सकती है, क्योंकि "आकलन के आदेश के अनुसरण में" शब्द उस दावे का संकेत देते हैं। मूल्यांकन को चुनौती दिए बिना रिफंड किया जा सकता है; और वह रिफंड के लिए दावा दायर करने के लिए 1 वर्ष या 6 महीने की सीमा अवधि प्रदान करने वाले प्रावधान से पता चला कि मूल्यांकन को चुनौती दिए बिना भी रिफंड का दावा किया जा सकता है।

याचिका खारिज करते हुए अदालत ने आयोजित किया-

1. एक बार मूल्यांकन आदेश पारित हो जाने पर शुल्क उस आदेश के अनुसार देय होगा। जब तक सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28 के तहत मूल्यांकन के उस आदेश की समीक्षा नहीं की जाती और/या अपील में संशोधित नहीं किया जाता, वह आदेश कायम रहेगा। जब तक आदेश या मूल्यांकन कायम रहेगा, शुल्क मूल्यांकन के उस आदेश के अनुसार देय होगा। धनवापसी का दावा यह कोई अपील कार्यवाही नहीं है. अधिकारी रिफंड दावे पर विचार कर रहा है किसी सक्षम अधिकारी द्वारा किए गए

मूल्यांकन पर अपील में नहीं बैठ सकते।रिफंड दावे पर विचार करने वाला अधिकारी मूल्यांकन आदेश की समीक्षा भी नहीं कर सकता [504-ए, बी]

2. शब्द "आंकलन के आदेश के अनुसरण में" केवल उस पक्ष/व्यक्ति को दर्शाते हैं जो धन वापसी के लिए दावा कर सकता है। दूसरे शब्दों में, वे उस व्यक्ति को रिफंड का दावा करने में सक्षम बनाते हैं जिसने मूल्यांकन के आदेश के अनुसरण में शुल्क का भुगतान किया है। ये शब्द इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हैं कि मूल्यांकन के आदेश को अपील में संशोधित किए बिना या समीक्षा किए बिना धनवापसी का दावा बरकरार रखा जा सकता है। [504-डी, ई]

3. सीमा अवधि के प्रावधान यह नहीं दर्शाते हैं कि अपील दायर किए बिना रिफंड दावा दायर किया जा सकता है। [504-सी]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर बनाम फ्लॉक (इंडिया) प्रा. लिमिटेड, (2000) 6 एससीसी 650, पर भरोसा किया।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः समीक्षा याचिका (सी) संख्या 96 /2004 .

सिविल अपील सं. 9045/2003

केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के निर्णय और आदेश दिनांक 28.5.2002 और

27.6.2003 से संख्या सी/588/2001-बी और सी/रोम/222/2002-बी और एफ.ओ. 261/2002- एवं विविध। 0. 2003-बी का क्रमांक 72 याचिकाकर्ता/अपीलार्थी के लिए विक्रम नानकानी, तरुण गुलाटी और एस. हरिहरन मोहन परासरन, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, रुपेश कुमार और पी.परमेश्वरन प्रतिवादी के लिए

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया-

एस.एन. वरियावा, जे.:

इस समीक्षा याचिका के माध्यम से 14 नवंबर, 2003 के एक आदेश की समीक्षा करने की मांग की गई है।

इस आदेश के प्रयोजनों के लिए आवश्यक तथ्य इस प्रकार हैं:

याचिकाकर्ताओं ने ब्रेकिंग उद्देश्यों के लिए एक जहाज का आयात किया था। उन्होंने प्रवेश पत्र दाखिल किया। देय शुल्क की राशि का आकलन किया गया। याचिकाकर्ताओं ने विरोध स्वरूप शुल्क का भुगतान किया। इसके बाद उन्होंने इस आधार पर 79,64,648 रुपये की वापसी का दावा दायर किया कि शुल्क गलत तरीके से लगाया गया था। उनका रिफंड 30 अगस्त 2000 को खारिज कर दिया गया था। उनके द्वारा दायर अपील 31 अक्टूबर 2001 को खारिज कर दी गई थी। सेस्टम्स, उत्पाद शुल्क और सोना (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईजीएटी) के समक्ष दायर आगे

की अपील 28 मई 2002 को न्यायाधिकरण द्वारा खारिज कर दी गई थी। ट्रिब्यूनल ने [2000] 6 एससीसी 650 में रिपोर्ट किए गए सेंट्रल एक्साइज कलेक्टर बनाम फ्लॉक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के मामले में इस न्यायालय के फैसले का पालन किया। ट्रिब्यूनल ने माना कि मूल्यांकन आदेश के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की गई थी, इसलिए रिफंड का दावा किया गया था। रखरखाव योग्य नहीं. इस न्यायालय के समक्ष दायर सिविल अपील हमारे आदेश दिनांक 14 नवंबर, 2003 द्वारा खारिज कर दी गई थी।

जैसा कि यह तर्क दिया गया है कि सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के प्रावधान उत्पाद शुल्क अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं और फ्लॉक (भारत) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय लागू नहीं होगा, नोटिस जारी किया गया था .

हमने पक्षकारों के बारे में बहुत विस्तार से सुना है।

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 27 के तहत रिफंड का दावा कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसने (ए) आदेश के अनुसरण में शुल्क का भुगतान किया हो।मूल्यांकन या (बी) एक व्यक्ति जिसने कर्तव्य वहन किया था। यह दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत किया गया है कि "आकलन के आदेश के अनुसरण में" शब्द अनिवार्य रूप से यह दर्शाता है कि किसी अपील में मूल्यांकन को चुनौती दिए बिना धन वापसी का दावा किया जा सकता है।

यह प्रस्तुत किया गया है कि यदि मूल्यांकन सही नहीं है, तो एक पक्ष रिफंड के लिए दावा दायर कर सकता है और रिफंड के दावे पर विचार करते समय मूल्यांकन आदेश की सत्यता की जांच की जा सकती है। यह प्रस्तुत किया गया कि धारा 27 की शब्दावली, विशेष रूप से, एक वर्ष या 6 महीने की अवधि के भीतर रिफंड के लिए दावा दायर करने के प्रावधानों से यह भी पता चलता है कि एक दावा मूल्यांकन आदेश के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं होने पर भी रिफंड किया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया गया था कि यदि पार्टी द्वारा अपील दायर करने के बाद ही रिफंड का दावा किया जा सकता है, तो एक वर्ष या 6 महीने के भीतर दावा दायर करने के प्रावधान निरर्थक हो जाएंगे क्योंकि अपील की कार्यवाही उस अवधि के भीतर कभी खत्म नहीं होगी। . यह प्रस्तुत किया गया कि रिफंड के दावे में पार्टी यह तर्क दे सकती है कि मूल्यांकन का आदेश सही नहीं था और अपील दायर किए बिना भी उस आधार पर रिफंड का दावा कर सकती है।

हम इस निवेदन को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। बस ऐसा ही एक विवाद है फ्लॉक (भारत) के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। एक बार मूल्यांकन आदेश पारित हो जाने पर शुल्क उस आदेश के अनुसार देय होगा। जब तक मूल्यांकन के उस आदेश की धारा 28 के तहत समीक्षा नहीं की गई है और/या किसी अपील में संशोधित नहीं किया गया है, तब तक वह आदेश कायम रहेगा। जब तक मूल्यांकन का

आदेश कायम है तब तक शुल्क उस मूल्यांकन आदेश के अनुसार देय होगा। धन-वापसी का दावा एक अपील कार्यवाही के समान है। रिफंड दावे पर विचार करने वाला अधिकारी किसी सक्षम अधिकारी द्वारा किए गए मूल्यांकन पर अपील में नहीं बैठ सकता है। रिफंड दावे पर विचार करने वाला अधिकारी मूल्यांकन आदेश की समीक्षा भी नहीं कर सकता है।

हम इस तर्क में भी कोई दम नहीं देखते हैं कि सीमा अवधि के प्रावधान इंगित करते हैं कि अपील दायर किए बिना रिफंड दावा दायर किया जा सकता है। यहां तक कि उत्पाद शुल्क अधिनियम के नियम 11 के तहत भी रिफंड का दावा छह महीने की अवधि के भीतर दायर किया जाना था। फ्लॉक (इंडिया) के मामले (सुप्रा) में अभी भी यह माना जाता था कि अपील दायर किए जाने के अभाव में कोई रिफंड का दावा नहीं किया जा सकता है।

शब्द "मूल्यांकन के आदेश के अनुसरण में" केवल इंगित करते हैं पार्टी/व्यक्ति जो रिफंड के लिए दावा कर सकता है। दूसरे शब्दों में, वे उस व्यक्ति को रिफंड का दावा करने में सक्षम बनाते हैं जिसने मूल्यांकन आदेश के अनुसरण में शुल्क का भुगतान किया है। ये शब्द इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हैं कि मूल्यांकन के आदेश को अपील में संशोधित किए बिना या समीक्षा किए बिना धनवापसी का दावा बरकरार रखा जा सकता है।

हमारे विचार में, फ्लॉक (भारत) के मामले में अनुपात (सुप्रा) पूरी तरह से लागू होता है। इसलिए, हमें पुनर्विक्षा याचिका में कोई सार नजर नहीं आता। तदनुसार, पुनर्विक्षा याचिका लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के खारिज कर दी जाती है।

के के टी

याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता निशा पालीवाल द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।